मदनसिंह (मृतक) - अमरसिंह, 99/2008

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22.2.23	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17.5.23 को पेश हो।	
17/5/23	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 5.0. CW पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14.8.23 को पेश हों।	
14.8.23	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पो उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज [illegible] पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3.11.23 को पेश हों।	
3.11.23	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज [illegible] पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16.1.24 को पेश हों।	
16.1.24	पत्रावली पेश। प्रकरण में शेष रेस्पोंडेंटस की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार समन जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 15.2.24 को पेश हो।	
15/2/24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19.4.24 को पेश हो।	
/	पत्रावली दिनांक 19.4.24 को नियत थी। इस दिनांक को [illegible] होने से पत्रावली आज पेशी में आई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31.5.24 को पेश हो।	
31.5.24	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18.6.24 को पेश है।	
18.6.24	पत्रावली पेश / वकील [illegible] अपीलांट को [illegible] हेतु [illegible] / [illegible] अवसर दिया गया। [illegible] 16.5.24 को पेश हो।	Sir No[illegible] [illegible]

दिनांक	आज्ञा पत्र
5.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.7.24 को पेश हो। Sd/-
19.7.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। Sd/-

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 99/2008

1 मदन सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह मृतक
1/1 श्रीमती केशरकंवर बेवा मदनसिंह
1/2 जगदीश सिंह पुत्र मदन सिंह
1/3 बलबीर सिंह पुत्र मदन सिह
1/4 मंगेज कंवर पुत्र मदन सिंह
1/5 कमला कंवर पुत्री मदन सिंह
1/6 मिठ्ठू कंवर पुत्री मदन सिह
1/7 सरोज कंवर पुत्री मदन सिंह
2 भागीरथ सिंह पुत्र श्री बेरीसाल सिंह जाति रामपूत निवासीगण ग्राम राजपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 अमरसिह पुत्र धनसिंह मृतक
1/1 श्रीमती लाडकंवर बेवा अमरसिंह
1/2 श्रीमान सिंह मृत
1/2/1 श्रीमती कदन कंवर बेवा श्रीमानसिंह
1/2/2 श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्रीमानसिंह
1/2/3 श्री बिशनसिंह पुत्र श्रीमानसिंह
1/2/4 श्री भगवान सिंह पुत्र श्रीमान सिंह
1/3 महाबीर सिंह पुत्र अमरसिंह
1/4 भंवर कंवर पुत्र अमरसिंह
1/5 छोटू कंवर पुत्री अमरसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

2 उपपंजीयक, दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टीएक्ट विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2008 न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय, सीकर दावा नम्बर 66/2003 उनवानी मदन सिंह आदि बनाम अमरसिंह आदि।

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.7.24

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर सीकर द्वारा मुकदमा 66/2003 में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद उदघोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरुस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 707, 708 जिसके पुराने खसरा नम्बर 300 वाके ग्राम राजपुर का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट संख्या 1/2 लगायत 1/7 के ताऊ व अपीलांट संख्या 2 के भाई श्री नारायण सिंह अन्धे थे तथा वे आजन्म कुवारे रहे। तथा इनके कब्जे काश्त की कृषि भूमियों व समस्त चल व अचल सम्पतियों पर अपीलान्टस ही काबिज काश्तकार है तथा अपीलान्टस ही स्व. नारायणसिंह के एकमात्र उत्तराधिकारी है। ग्राम राजपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 300 रकबा 16 बीघा 6 बिश्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर दौराने सेटलमेंट 707 रकबा 2.78 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 708 रकबा 1.35 हैक्टेयर अंकित हुए तथा भूमि के 1/2 हिस्से को अपीलान्टस अपने पूर्वजो के समय से निरन्तर निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है तथा बहैसियत खातेदार काश्तकार खुद काबिज है तथा अपीलान्टस व उनके पूर्वजों के नाम पुराने गिरदावरियों में अंकित चला आ रहा है व लगान भी अपीलान्टस ही अदा करते आ रहे है व अपीलान्टस ने अपने कब्जे काश्त की भूमि में कृषि उपकरण व खाद बीज व रिहायश हेतु एक पुख्ता ढाणी भी बना रखी है जिस पर काबिज है तथा अपीलान्टस 1/1 लगायत 1/7, 1/4 व अपीलान्टस संख्या 2, 1/4 हिस्से पर काबिज काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट का इन भूमियो से कोई सम्बन्ध सरोकार व कब्जा काश्त नहीं है तथा न ही कभी रहा है तथा न ही इनके पूर्वजो का इन भूमियों के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त रहा है। अपीलान्टस खसरा नम्बर 707 व 708 वाके ग्राम राजपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के 1/4,1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार खुद काबिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

उद्घोषित करवाने के अधिकारी है। अपीलान्टस के कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 300 जिसके नवीन खसरा नम्बर 707 रकबा 2.78 हैक्टेयर खसरा नम्बर 708 रकबा 1.35 हैक्टेयर पर अपीलान्टस 1/2 हिस्से पर अपने पूर्वजों के समय से पिछले 50 सालो से भी अधिक समय से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्तकार चले आ रहे है। इसलिए अपीलान्टस को एडवर्स पजेसर के कानून के तहत भी वादास्पद भूमियों के 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। रेस्पोडेनट संख्या 1/1 लगायत 1/5 चालाक किस्म का होशियार व्यक्ति है जिसने राजस्व अधिकारियों से साजिस रच कर अपने अकेले के नाम का अंकन इन भूमियों में करवा लिया जिसका की उनको कोई अधिकार नहीं है तथा उनके अकेले के नाम का अंकन होने से उनके मन में बेईमानी आ गई है तथा वे अपीलान्टस को लाठी व ताकत के बल पर इन भूमियों से बेदखल करना चाहते है। यदि रेस्पोडेन्टस अपने इस कुत्सित इरादे में सफल हो गये तो अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किया जाना कतई संभव नहीं है तथा अपीलान्टस काश्तकार पेशा व्यक्ति व काश्त ही अपीलान्टस के जीवनयापन का एक मात्र सहारा है। अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय में अपना वाद जुबानी शहादत व दस्तावेजी शहादत से पूर्णतया साबित कर दिया था तथा रेस्पोडेन्टस की ओर से न तो वाद का खण्डन किया गया न ही जुबानी व दस्तावेजी शहादत प्रस्तुत की गई तथा पत्रावली पर कोई खण्डन साक्ष्य नहीं होते हुये विचारण न्यायालय ने खण्डाधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट को अपना वाद साबित करने के लिए, साक्ष्य शहादत प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से वादी अपीलांट अपना वाद साबित करने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में सफल नहीं रहे है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी में संवत अंकित नहीं है। खसरा गिरदावरियों से निरन्तर कब्जा काश्त साबित नहीं है। साक्ष्य के अभाव में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट को अपना वाद साबित करने के लिए, साक्ष्य शहादत प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से वादी अपीलांट अपना वाद साबित करने में सफल नहीं रहे है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी में संवत अंकित नहीं है। खसरा गिरदावरियों से निरन्तर कब्जा काश्त साबित नहीं है। साक्ष्य के अभाव में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर